شیعہ مرکزی وقف بورڈ - اترپردیش

فرد احکام

آख्या

मा० अध्यक्ष,

श्री खुर्शीद अनवर पुत्र स्व० असगर अली, मुतवल्ली वक्फ सय्यद मोहम्मद, निवासीः मोहल्ला–कोट, अब्दुल्लापुर, मेरठ के पत्र दिनांक 05–03–2016 पर बोर्ड के मा० अध्यक्ष द्वारा दिये गये निर्देश दिनांक 05–03–2016 के अनुपालन में वक्फ सययद मोहम्मद, पंजीयन संख्याः I–2554, मेरठ की वक्फ सम्पत्ति स्थितः खुर्रमपुर, मेरठ पर बनी शरीब की फैक्ट्री के संबंध में मौका मुआयना कर जांच की गयी, जिसमें पाया गया कि कार्यालय शिया सेण्ट्रल वक्फ बोर्ड के वक्फ पंजीकरण अभिलेखों में वक्फ सययद मोहम्मद की खसरा संख्याः वक्फ सम्पत्ति खेवट नम्बर–1 व 2 जिसमें से कुछ खसरा संख्या–89 रकबा 10 बिस्वा, 99 रकबा 18 बिसवा, 100 रकबा 14 बिसवा, 101, 6 बिसवा, 102, 5 बिसवा, 103, 9 बिसवा, 104, 4 बिसवा, 105, 2 बिसवा, 106, 14 बिसवा, 107, 14 बिसवा, 108, 1 बिसवा, 109, 10 बिसवा, 110, 6 बिसवा, 111, 8 बिसवा, 112, 1 बीघा, 113, 1 बीघा, 114, 19 बिसवा, 115, 6 बिसवा, 181, 2 बिसवा, 178, 2 बिसवा, 189, 2 बिसवा, 175, 5 बिसवा, 168, 5 बिसवा, नम्बरान 23 कुल रकबा 10 बीघा 2 बिसवा पुख्ता अज खेवट नं. 1 व 2 स्थितः कंकर खेड़ा, खुर्रमनगर, जिला–मेरठ जोकि नियमानुसार वक्फ सम्पत्ति के रूप में दर्ज है, पर पूर्व में अवैध रूप से वक्फ का अस्तित्व छिपाते हुए अवैध रूप से सम्पत्ति को अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा खरीदे व बेचे जाने के बाद से उक्त वक्फ सम्पत्ति पर शराब की फैक्ट्री बनी हुई है। उक्त शराब की फैक्ट्री वर्ष 2012 में यूनाईटेड स्प्रिट्स लि० द्वारा क्रय कर अपने नाम एक पक्षीय दाखिल खारिज करा लिया था। बोर्ड द्वारा सूचना प्राप्त होने पर यूनाईटेड स्प्रिट्स लि० को नोटिस देकर उनका पक्ष सुनने के पश्चात वक्फ अधिनियम की धारा–52 के अन्तर्गत कार्यवाही की उक्त धारा–52 के अन्तर्गत बोर्ड द्वारा किये गये आदेश दिनांक 22–01–2016 के विरूद्ध यूनाईटेड स्प्रिट्स लि० द्वारा मा० उच्च न्यायालय में याचिका संख्या 4343/2016 दायर की जिस पर मा० उच्च न्यायालय

कृ०प०उ०

شیعہ مرکزی وقف بورڈ - اترپردیش

فرد احکام

द्वारा सुनवाई करते हुए बोर्ड के आदेश दिनांक 22-01-2016 को स्थगित कर दिया। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 02-3-2016 में बोर्ड के आदेश को स्थगित करने के साथ-साथ यूनाईटेड स्प्रिट्स लि0 (याची) को भी निर्देशित किया कि वह भी प्रकरण से संबंधित सम्पत्ति को किसी तीसरे को हस्तगत नहीं करेंगे। शराब की फैक्ट्री का मौका मुआयना कर यह प्रकाश में आया है कि मौके पर यूनाइटेड स्प्रिट्स लि0 द्वारा शराब की फैक्ट्री एस0ए0बी0 मिलर लि0 इण्डिया को हस्तगत कर दी गयी है। फैक्ट्री पर एस0ए0बी0 मिलर लि0 इण्डिया के नाम के बोर्ड भी लगे हुए हैं। जिसका फोटो आख्या के साथ संलग्न है। वहां मौजूद स्थानीय लोगों से यह जानकारी प्राप्त हुई है कि यूनाइटेड स्प्रिट्स लि0 द्वारा उक्त शराब की फैक्ट्री एस0ए0बी0 मिलर लि0 इण्डिया को स्थापित कर दी गयी है। शराब की फैक्ट्री के कर्मचारियों एवं अधिकारियों द्वारा मिलने से इन्कार कर दिया गया। फैक्ट्री के गेट पर मौजूद गार्ड द्वारा यह बताया गया कि लगभग पिछले तीन महीने से एस0ए0बी0 मिलर लि0 इण्डिया इस फैक्ट्री का मालिक है इससे यह स्पष्ट है कि यूनाइटेड स्प्रिट्स लि0 द्वारा बोर्ड को भी धोखा दिया गया। बोर्ड के समक्ष रखे गये अपने पक्ष में उनके द्वारा वक्फ सम्पत्ति पर बनी शराब की फैक्ट्री को किसी अन्य को हस्तगत किये जाने की बात बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गयी और मा0 न्यायालय के समक्ष भी सच्चाई को छिपा कर बोर्ड के आदेश के विरुद्ध स्थगित आदेश यूनाइटेड स्प्रिट्स लि0 द्वारा प्राप्त किया गया है। बोर्ड द्वारा वक्फ अधिनियम, की धारा-52 के अन्तर्गत यूनाईटेड स्प्रिट्स लि0 से कब्जा प्राप्त करने हेतु जो धारा-52 की कार्यवाई अपने आदेश दिनांक 22-01-2016 के अन्तर्गत की गयी थी जोकि मा0 न्यायालय द्वारा स्थगित कर दी गयी है। वह यूनाइटेड स्प्रिट्स लि0 द्वारा साक्ष्य को छिपा कर रखे गये अपने पक्ष के कारण गलत हो गयी है, क्योंकि धारा-52 के अन्तर्गत कार्यवाही मौके पर कब्जेदार के विरुद्ध उससे कब्जा प्राप्त करने के संबंध में की जा सकती है और मौके पर अब शराब की फैक्ट्री का संचालन यूनाइटेड स्प्रिट्स लि0 के बजाये एस0ए0बी0 मिलर लि0 इण्डिया द्वारा किया जा रहा है इस कारण यह उचित होगा कि इस प्रकरण में बोर्ड द्वारा वक्फ

شیعہ مرکزی وقف بورڈ - اترپردیش

فرد احکام

अधिनियम की धारा–52 के अन्तर्गत किया गया आदेश जोकि मा0 उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 02–03–2016 के अन्तर्गत स्थगित भी कर दिया गया है, को निरस्त कर पुनः एस0ए0बी0 मिलर लि0 इण्डिया को नोटिस देकर उनका पक्ष प्राप्त करते हुए नियमानुसार पुनः वक्फ अधिनियम की धारा–52 के अन्तर्गत कार्यवाही किया जाना उचित होगा।"

दिनांकः–14–03–2015

(मुन्तजिर मेहदी)
यू0डी0ए0
शिया सेण्ट्रल वक्फ बोर्ड, उ0प्र0
लखनऊ।

شیعہ مرکزی وقف بورڈ - اترپردیش

فرد احکام

आख्या

मा0 अध्यक्ष,

वक्फ सययद मोहम्मद, I–2554, जनपद–मेरठ में वक्फ के मुतवल्ली श्री सै0 हुसैन अहमद के शिकायती पत्र दिनांक 02–7–2015 पर प्रकरण में जांच कर मांगी गयी आख्या के संबंध में दिये गये निर्देश के अनुपालन मैं मौका मुआएना कर व प्रकरण से संबंधित समस्त अभिलेखों का अवलोकन कर आख्या प्रेषित है।

वक्फ सययद मोहम्मद जोकि कार्यालय शिया सेण्ट्रल वक्फ बोर्ड में दफा–36 के अन्तर्गत वक्फनामा दिनांक 26–4–1918 व वक्फनामा दिनांक 15–9–1930 के अनुसार वक्फ अलल–औलाद के रूप में पंजीकृत है। उक्त वक्फ में वक्फ सम्पत्ति के रूप में वाकिफ द्वारा तहरीर किया गया है कि "तहरीर तारीख दस्तावेज हाजा जायदाद मुन्दर्जा फर्द (अ) व फर्द (ब) तादादी सात बिस्वा उन्नीस बिसवांसी चौदह कचवांसी पन्द्रह अतवानसी बारह अनवांसी मिनजुमला एक हजार पांच सौ पैंतीस बीघा 15 बिस्वा पुख्ता जमई एक हजार नो सौ रूपये अज–मुदर्जा खेवट–1 वाके मौजा नासिर पुर परगना हस्तिनापुर तहसील मवाना किला व नौ बिस्वा उन्नीस बिसवांसी बारह तसवानसी दस कचवानसी मिनजुमला आठ सौ इक्यावन बीघा पांच बिस्वां पुखता जमई एक हजार उनासी रूपये"

मुन्दर्जा खेवट 1 वाकए मौजा इस्लामाबाद छलैरा व दस बिसवा तीन बिसवांसी तीन तसवानसी साढ़े सात कचवानसी मिनजुमला 15 बिसवा चार बिसवांसी 15 तसवानसी मुन्दर्जा खेवट 2 तादादी बहत्तर बीघा सतरह बिसवा पुखता जमयी एक सौ सतावन रूपये वाकए मौजा खुरमपुर उर्फ कंकरखेड़ा व मवाजी बहत्तर बीघा चार बिसवा सात बिसवानसी मिनजुमला अठहत्तर बीघा दो बिसवा चौदह बिसवानसी पुखता जमई एक सौ अठहत्तर रूपये चौदह आने दो पायी मुन्दर्जा खेवट व मवाजी नौ बीघा चार बिस्वा पुखता जमयी सतरह रूपये दस आना दस पायी। मुन्दर्जा खेवट 2 महाल अली अब्बास व मवाजी एक बीघा चौदह बिस्वां पुखता अज खाता खेवट 1 तादादी तिहत्तर बीघा चौदह बिस्वा पुखता जमई एक सौ इकयावन रूपये दस आने आठ पाई व मवाजी चार बिस्वा आराजी पुखता अज खाता खेवट 2 तादादी नौ बीघा नौ बिसवा पुखता जमयी आठ रूपये पांच आने चार पायी 5 बिसवा अली बहादुर व मवाजी ग्यारह बीघा सतरह बिसवा पांच बिसवांसी तेरह तसवानसी जमयी चौदह रूपये दो आने तीन पायी मन्दर्जा खेवट नं0–21 महाल दस बिस्वा मुददा आलम व मवाजी दस बीघा नौ बिसवा पुखता मिनजुमला पैंसठ बीघा चार बिसवा पुखता जमई एक सौ अठाईस रूपया मुन्दर्जा खेवट–1 महाल 5 बिसवा श्री राम वाकै मौजा अब्दल्लापुर परगना व तहसील व जिला मेरठ आराजी बाग व खुद काश्त सीर व मकानात मसकूना अन्दरूनी कोट, अब्दुल्लापुर मजकूर महदूदा जैल व खाता हाये रिआया व शोर व कललर व जनजर व बंजर व सकनी मुदर्जा फर्द (अ) व फर्द (ब) पिसर तौलियत सै0 मोहम्मद कासिम अली

कृ0प0उ0

شیعہ مرکزی وقف بورڈ - اترپردیش

فرد احکام

व सै0 मोहम्मद जहीर अली उर्फ मन्जूर अहमद रहेगी''। क्योंकि वर्तमान में वक्फ की गयी सम्पत्ति के नम्बरान बदल चुके है, इस कारण सम्पत्ति की बिकी आदि की शिकायतें बोर्ड को प्राप्त हुई और नये नम्बरान को दर्ज करने हेतु बोर्ड से मुतवल्ली द्वारा अनुरोध किया गया और वक्फ के मुतवल्ली ही द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में नये नम्बरान के अनुसार वक्फ सम्पत्ति दर्ज करने हेतु मा0 उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या–62668/2014 शिया सेण्ट्रल वक्फ बोर्ड के विरूद्ध दाखिल की गयी जिस पर मा0 उच्च न्यायालय द्वारा बोर्ड को वक्फ सम्पत्ति के पंजीकरण के संबंध में निर्णय लेने हेतु निर्देशित किया गया। बोर्ड द्वारा वक्फ सययद मोहम्मद में वाकिफ द्वारा वक्फ की गयी वक्फ सम्पत्ति की वर्तमान स्थिति जानने के लिए जिलाधिकारी/अपर सर्वे आयुक्त, जनपद–मेरठ को पत्र संख्या–230 दिनांक 10–8–2015 के माध्यम से वक्फ की गयी सम्पत्ति का पुराना ब्यौरा उपलब्ध कराते हुए उसकी वर्तमान स्थिति जानने हेतु पत्र भेजा गया। उक्त पत्र के अनुपालन में राजस्व अभिलेखों के अनुसार कार्यालय जिलाधिकारी, जनपद–मेरठ से आख्या दिनांक 22–12–2015 व दिनांक 26–12–2015 बोर्ड को दिनांक 31–12–2015 को प्राप्त हुई जिसमें पुराने नम्बरान व खेवट से जो नय नम्बरान वर्तमान में बने हैं का ब्यौरा उपलब्ध कराया गया जोकि बोर्ड द्वारा अपने आदेष दिनांक 01–01–2016 के माध्यम से धारा–36 व 37 के अन्तर्गत रजिस्टर अवकाफ में दर्ज कराये जाने के निर्देश दिये गये जिसके अनुपालन में वक्फ समपत्ति की वर्तमान स्थिति के अनुसार समस्त नम्बरान जोकि जिलाधिकारी मेरठ के कार्यालय से भेजी गयी आख्या दिनांक 22–12–2015 व दिनांक 26–12–2015 के माध्यम से प्राप्त हुई थी रजिस्टर अवकाफ में पुरने खेवट व की गयी वक्फ सम्पत्ति के अनुसार वर्तमान राजस्व अभिलेखों में उक्त वक्फ सम्पत्ति जोकि दिनांक 26–4–1918 व दिनांक 15–9–1930 में रजिस्टर्ड वक्फ की जा चुकी है, की वर्तमान स्थिति के रूप में दर्ज हो चुके हैं। श्री सै0 हुसैन अहमद द्वारा की गयी शिकायत जोकि कंकरखेड़ा स्थित: खुर्रमनगर, जिला–मेरठ में वक्फ सम्पत्ति के संबंध में है, जोकि निम्नलिखित है:–

खसरा संख्या–89 रकबा 10 बिस्वा, 99 रकबा 18 बिसवा, 100 रकबा 14 बिसवा, 101, 6 बिसवा, 102, 5 बिसवा, 103, 9 बिसवा, 104, 4 बिसवा, 105, 2 बिसवा, 106, 14 बिसवा, 107, 14 बिसवा, 108, 1 बिसवा, 109, 10 बिसवा, 110, 6 बिसवा, 111, 8 बिसवा, 112, 2 बीघा, 113, 1 बीघा, 114, 19 बिसवा, 115, 6 बिसवा, 181, 2 बिसवा, 189, 2 बिसवा, 175, 5 बिसवा, 168, 5 बिसवा, नम्बरान 23 कुल रकबा 10 बीघा 02 बिसवा पुख्ता अज़ खेवट नं. 1 व 2 उक्त सम्पत्ति वाकिफ द्वारा वक्फनामा दिनांक 26–4–1918 के अन्तर्गत रजिस्टर्ड वक्फ की गयी है। जिलाधिकारी मेरठ से जो वक्फ सम्पत्ति के संबंध मं आख्या प्राप्त हुई है उसमें उक्त नम्बरान मौजूद हैं। उपरोक्त नम्बरान को श्री स्व0 मंजूर अहमद पुत्र सै0 मोहम्मद व मुसम्मात अमीर फात्मा मरहूमा जौजा सै0 कासिम अली ने लाला हंसराज पुत्र कुलराज गोपाल को दिनांक 20–4–1937 को वास्ते फैक्ट्री सेण्ट्रल डिस्टलरी एण्ड सेण्ट्रल वर्क्स बराए मुददत 50 साल रजिस्टर्ड लीज करके किराये पर दे दी थी, परन्तु उक्त किराये पर दी गयी सम्पत्ति को अवैध रूप से श्री सै0 मंजूर अहमद पुत्र स्व0 सै0 मोहम्मद व श्री बादशाह अली व श्री अली अब्बास पुत्रगण स्व0 सै0 कासिम अली, निवासी–अब्दुल्लापुर, पगरना

-3

شیعہ مرکزی وقف بورڈ - اترپردیش

فرد احکام

व तह0 व जिला–मेरठ द्वारा सेण्ट्रल डिस्टलरी एण्ड सेण्ट्रल वर्क्स लिमिटेड, मेरठ के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री शिवराज गुप्ता के पक्ष में रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 29 मार्च, 1965 कर दिया। उक्त वक्फ सम्पत्ति का किया गया बैनामा अवैध है व इसकी मान्यता शून्य है, क्योंकि उक्त बैनामा करने से पूर्व कोई अनुमति बोर्ड से प्राप्त नहीं की गयी है और न ही वाकिफ द्वारा किये गये वक्फनामें में सम्पत्ति को किन्हीं भी परिस्थिति में बेचे जाने की कोई भी शर्त उल्लिखित नहीं है। दिनांक 29–3–1965 के अन्तर्गत अवैध रूप से बेची गयी उपरोक्त वक्फ सम्पत्ति पर काबिज सेण्ट्रल डिस्टलरी एण्ड सेण्ट्रल वर्क्स लिमिटेड, मेरठद्वारा फैक्ट्रील को वर्ष 2006 में मेसर्स यूनाईटेड स्प्रिट्स लि0 को हस्तांतरित कर दिया गया। मेसर्स युनाईटेड स्प्रिट्स द्वारा न्यायालय तहसीलदार, मेरठ में वाद संख्या–31/412/265 अन्तर्गत धारा–34 एल0आर0 एक्ट ग्राम–खुर्रमपुर, जिला मेरठ दाखिल किया गया जिसमें एक पक्षीय आदेश दिनांक 09–8–2012 मेसर्स यूनाईटेड स्प्रिट्स लिमिटेड के पक्ष में पारित पारित हुआ और राजस्व अभिलेखों में उपरोक्त वक्फ सम्पत्ति को एक पक्षीय आदेश दिनांक 09–8–2012 के अनुपालन में मेसर्स यूनाईटेड स्प्रिट्स लिमिटेड के नाम दर्ज कर दिया गया। मेसर्स यूनेईटेड स्प्रिट्स लिमिटेड जोकि रजिस्ट्रार कम्पनी कर्नाटका के आदेश दिनांक 17–10–2006 के अन्तर्गत अस्तित्व में आई और न्यायालय तहसीलदार मेरठ के एक पक्षीय आदेश दिनांक 09–8–2012 के अन्तर्गत राजस्व अभिलेखों में उपरोक्त वक्फ सम्पत्ति के खसरा नम्बरान पर अपने नाम का अमल–दरामद कराया है और वर्तमान में वक्फ संपत्ति पर अवैध रूप से मौके पर कब्जा है। मेसर्स यूनाईटेड स्प्रिट्स लिमिटेड के पदाधिकारियों व पदाधिकारियों के नाम व पते निम्नलिखित हैं:–

S.No	Name	Designation	Persent residential address
1.	Mr. Anand Kripalu	CEO	Spring Leaf Flat "G" No. 6, 1st Cross, Brunton Cross Road, Bangalore, 560025, Karnataka, India
2.	Mr. Vijay Mallya	Director	VILLA# b92, PALM JUMERIAh, P O Box 20827, DUBAI, NA, UNITED ARAB EMIRATES
3.	Mr. NICHOLAS BODO BLAZQUEZ	Director	8 Wheatifield Road, Harpenden, Hertfordshire, AL52NX, UNITED KINGDOM
4.	Mr. RAJEEV GUPTA	Director	Krishna Kutir, Ground Floor, 28 Union Park, Khar (West), MUMBAI, 400052, Maharashtra, INDIA.
5.	Mr. MAHENDRA KUMAR SHARMA	Director	192 CENTRUM TOWERS BARKHAT ALI ROAD, NER WADALA FLYOVER WADALA EAST, MUMBAI,400037, Maharashtra, INDIA
6.	MR. RAJA GOPAL	Director	8 BUXTON GDNS, LONDON, NA,W39LQ. UNITED KINGDOM.
7.	Mr. SUDHAKAR RAO	Director	APARTMENT D Ist FLOOR SPRING LEAF APTS. NO 6 BRUNTON CROSS

شیعہ مرکزی وقف بورڈ - اترپردیش

فرد احکام

			ROAD, BENGAL URU, 560025, Kamataka INDIA.
8.	Mr. SIVANANDHAN DHANUSHKOODI	Director	1803, B Wing, Ashoka Towers, Ambedkar Road, Parel, Mumbai, 400012, Maharashtra, INDIA
9.	Mr. ANAND THIRUMALACHAR KRIPALU	Managing Director	FLAT NO. 7, BOURNVILLE APPARTMENT, 19 BHULABHAI DESAI ROAD, MUMBAI, 400026, Maharashtra, INDIA
10.	Mr. INDU RANJIT SHAHANI	Director	FLAT 56, HILL PARK, A G BELL ROAD, MALABAR HILL, MUMBAI, 400006, Maharashtra, INDIA
11.	Mr. RAMACHANDRAN VENKTESAN IYER	Secretary	FLAT NO. G 3 GITANJALI APARTMENTS, 1039 NEW THIPPASANDRA HAL 3RD STAGE, BANGALORE, 560075, Kamataka, INDIA
12.	Mr. SANJEEV CHURIWALA	CFO	Varsha Flat B 14-15 Plot U-7 JVPD Scheme, Gulmohar Cross Road-4 Vileparle (w), Mumbai, 400049, Maharashtra, India
13.	Mr. Jawed Mehmood Khan s/o Late M.H. Khan	Seniour General Manager	United Sprits Pvt. Ltd. Unit Meerut

क्योंकि उपरोक्त प्रकरण वक्फ अधिनियम की धारा–52 से संबंधित है और अधोहस्ताक्षरी द्वारा की गयी जांच से यह साक्ष्यों व अभिलेखों के आधार पर यह पाया गया है। उक्त सम्पत्ति वक्फ अधिनियम की धारा–36 के अन्तर्गत रजिस्र्ड वक्फनामा दिनांक 26–4–1918 के आधार पर बोर्ड में पंजीकृत है, की वक्फ सम्पत्ति को अवैध रूप से बेचा गया है व अवैध रूप से वक्फ सम्पत्ति हस्तांतरित की गयी है। इस कारण प्रकरण में वक्फ अधिनियम की धारा–52 के अन्तर्गत कार्यवाई किये जाने की संस्तति की जाती है व वक्फ अधिनियम की धारा–52(क) के अन्तर्गत मेसर्स यूनाईटेड स्प्रिट्स लि0 के पदाधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाई किये जाने की संस्तुति की जाती है, क्योंकि प्रकरण को अवैध रूप से हस्तांतरित करने वालों में से वर्तमान में कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं है इस कारण वक्फ अधिनियम की धारा–52(क) के अन्तर्गत वक्फ सम्पत्ति को अवैध रूप से बिकी/हस्तांतरित करने वालों के विरूद्ध कार्यवाई नहीं हो सकती परन्तु वक्फ सम्पत्ति पर निष्प्रभावी अवैध अभिलाखों के आधार पर अवैध रूप से मेसर्स यूनाइटेड स्प्रिट्स प्रा0 लि0 अवैध रूप से काबिज है जिनके पदाधिकारियों के नाम एव पते आख्या में उपरोक्त वर्णित हैं, के विरूद्ध वक्फ अधिनियम की धारा–52(क) के

شیعہ مرکزی وقف بورڈ - اترپردیش

فرد احکام

कार्यवाई की संस्तुति की जाती है। आख्या अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित है।

(सै0 वजीर हसन)
निरीक्षक